



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13062026-273434  
CG-CG-E-13062026-273434

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2935]  
No. 2935]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 11 जून, 2026

**का.आ. 3041(अ).**— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989, (1989 का 24) 1989 की धारा 2 के खंड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छत्तीसगढ़ राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में इस तहत के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती हैं।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (सक्ती जिला)
2.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (रायगढ़ जिला)
3.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया	

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)
4.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (कोरबा जिला)
5.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा	
6.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली	
7.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बिलासपुर जिला)

[फा. सं. सीएओ/सी/बीएसपी/ईस्ट वेस्ट/डीएफसी/डानकुनी-सूरत/7ए/2]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

### NOTIFICATION

Bilaspur, the 11th June, 2026

**S.O. 3041(E).**— In exercise of power conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below in the state of Chhattisgarh with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

### TABLE

Sl. No.	Competent Authority Land Acquisition	Name of the Project
(1)	(2)	(3)
1.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Sakti	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west ( <b>District- Sakti</b> )
2.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Raigarh	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west ( <b>District- Raigarh</b> )
3.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Kharsia	
4.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Korba	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west ( <b>District-Korba</b> )
5.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Katghora	
6.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Pali	
7.	Sub- Divisional Officer (Revenue), Masturi	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west ( <b>District- Bilaspur</b> )

[F.No. CAO/C/BSP/East West/DFC/Dankuni-Surat/7A/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.